(नियम 26)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी — मुकाम : रावतभाटा

बालचंद बनाम महावीर

किस्म मुकदमा प्रा0 ०५८ नं0 07 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
06/10/2025	पत्रावली आज दिनांक को पेश हुई। मुसन्ना का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय की मूल पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर मे तलब होने से दिनांक 27/02/2025 से प्रेषित की जा चुकी है, मूल पत्रावली के अभाव में विचारण न्यायालय में किसी भी प्रकार से प्रकरण में कोई अग्रिम कार्यवाही नही की जा सकती है। जब भी मूल पत्रावली संबंधित अपीलीय न्यायालय से प्राप्त होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश / निर्णय की पालना मे प्रकरण के समस्त उभय पक्षकारान वादी-प्रतिवादी को सम्यक रूप से सूचना-पत्र से सूचित किये जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी। तब तक प्रकरण मे कार्यवाही स्थगित। पेण्डिग रखी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर मुसन्ना शामिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Krati Vyas
Date: 2025.12.12 12:43:34 IST
Reason: SelfAttested